न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 15/2020 (अपील)

GCMS No. 2020/00045

1. श्रीमति इन्दु कला पत्नि श्री प्रताप सिंह जी हाडा, आयु 75 वर्ष जाति राजपूत, निवासी म.नं. एफ 25, जवाहर नगर, कोटा (राज.)
2. प्रताप सिंह हाड़ा आत्मज गणपत सिंह आयु 85 वर्ष, जाति राजपूत निवासी म.नं. एफ 25, जवाहर नगर, कोटा राजस्थान

––अपीलाण्ट

बनाम

1. वीरेन्द्र सिंह हाडा आत्मज श्री प्रताप सिंह हाड़ा, आयु 54 वर्ष, जाति राजपूत निवासी म.नं. एफ–25 जवाहर नगर, कोटा राजस्थान
2. रीता हाड़ा पत्नि श्री वीरेन्द्र सिंह हाड़ा, जाति राजपूत, निवासी म.नं. एफ–25, जवाहर नगर, कोटा (राज.)

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 16 भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 बनाराजगी निर्णय दिनांक 27.1.2020 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा इन्दुकला व अन्य बनाम विरेन्द्र सिंह व अन्य कार्यवाही अन्तर्गत धारा –5(1) प्रकरण संख्या 17/2019

उपस्थितः– श्री चन्द्रशेखर कक्कड़, अभिभाषक अपीलांट

दिनांकः– 19 /01/2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा, ने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 माता पिता ओर वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत सुनवाई कर दिनांक 27.01.2020 को आदेश पारित किया कि–" प्रकरण सम्पतित विवाद से सम्बन्धित है क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपने छोटे पुत्र को एक प्लॉट देकर अलग करना एवं बडे पुत्र को 14 बीघा कृषि भूमि बेचकर 25 लाख रूपये देना बताया है । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी श्री विरेन्द्र सिंह के जवाब प्रार्थना पत्र से प्रकरण प्रार्थी के पुत्रों में अपने पिता की सम्पत्ति के आपसी बंटवारे को लेकर उत्पन्न होने वाला विवाद प्रतीत होता है । अतः प्रार्थी पक्ष द्वारा अन्तर्गत धारा भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।"
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 04.02.2020 को पेश कर कथन किया है कि अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्टस के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक कार्यवाही अन्तर्गत धारा –5(1) भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई थी कि अपीलान्ट कम–2 के स्वामित्व का एक मकान नं0 एफ 25 जवाहर नगर कोटा पर स्थित है, उक्त मकान अपीलान्ट कम–2 के द्वारा स्वअर्जित आय से कय व निर्मित कराया गया था तथा जिसमें अपीलान्ट कम–2 अपीलान्ट कम–1 के साथ बहैसियत विधिक स्वामी के निवास कर कर रहे है, किन्तु उक्त वर्णित मकान के भू–तल पर दौ कमरे, किचन व पिंजरी पर रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलान्ट्स की वृद्वावस्था का लाभ उठाते हुये अपीलान्ट को भयभीत व आतंकित करते हुए तथा अपीलान्ट्स के साथ क्रूरता कारित करते हुए निवास कर रहा है । जिससे व्यथित होकर शांतिपूर्ण जीवन में दखलअंदाजी नहीं करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तुत

की थी, जिसे माननीय अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 27.1.2020 को आबीट्रेरी रूप से एवं बिना साक्ष्य का अवलोकन किये विधि विरूद्व से निरस्त फरमा दी गई । योग्य अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा निर्णय दिनांक 27.1.2020 पारित करते हुए आलेखित किया है कि अपीलान्टस के पुत्रों में अपने पिता की सम्पत्ति के आपसी बंटवारे को लेकर उत्पन्न होने वाला विवाद प्रतीता होता है जिसके कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।उक्त वर्णित तथ्य योग्य अधिकरण द्वारा आर्बीट्रेरी रूप से आलेखित किया है तथा ज्यूडिशियम माइण्ड भी एप्लायी नहीं किया है । क्योंकि उक्त सम्पत्ति अपीलान्ट कम–2 की स्वअर्जित आय से कयशुदा सम्पत्ति है जिसके सम्बन्ध में पत्रावली पर अपीलान्ट के विधिक स्वामित्व के प्रमाण स्वरूप उक्त सम्पत्ति की रजिस्टर्ड लीज डीड उपलब्ध है एवं जिसमें किसी प्रकार के हिस्से बाबत उज्र अथवा ऐतराज योग्य अधिकरण के समक्ष किसी भी पक्षकार के द्वारा विधिक रूप से नहीं किया जा सकता है । अधीनस्थ अधिकरण द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं फरमाया गया कि अपीलान्ट्स वृद्व है तथा अपीलान्ट्स के साथ रेस्पोडेन्ट्स ने घोर कूरता एवं उपहति कारित की तथा दिनांक 13.3.2019 को मारपीट की , गला दबा दिया था, कमरे का दरवाजा क्षतिग्रस्त कर दिया एवं थाना जवाहर नगर कोटा द्वारा माता पिता एवं पुत्र के सम्बन्ध होने से मात्र चेतावनी देकर छोड़ दिया । उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आये तथा निरन्तर कूरतापूर्ण व्यवहार करते रहे, अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्ट्स का कई बार लाखों रूपयों की मदद की है एवं रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा वैशाली नगर जयपुर में जब दो फ्लेट प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर कय किये गये थे, उस समय भी अपीलान्ट्स द्वारा आर्थिक रूप से सहयोग रेस्पोडेन्ट्स को किया गया था । उक्त सम्पत्ति अपीलान्ट्स की स्वअर्जित आय से निर्मित है जिसके प्रथम तल के निमार्ण के लिये ओरियन्टल बैंक से ऋण भी लिया गया था जिसको अपीलान्ट्स ने ही समय से चुकता भी किया है । उसके बावजूद भी अधीनस्थ अधिकरण ने निर्णय दिनांक 27.1.2020 में अपीलान्ट्स के पुत्रों में अपने पिता की सम्पत्ति के आपसी बंटवारे को लेकर उत्पन्न होने वाला विवाद प्रतीत होना मानकर निर्णय पारित करने में घोर कानूनी त्रुटि की है । अतः योग्य अधीनस्थ अभिकरण का निर्णय दिनांक 27.1.2020 निरस्त फरमाया जावें एवं रेस्पोडेन्ट्स को अपीलान्ट्स के मकान नम्बर एफ 25 जवाहर नगर कोटा से बेदखल किया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री मोहम्मद अकरण एड0 का वकालतनामा पेश हुआ । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट एवं वकील रेस्पोडेन्ट दौराने बहस उपस्थित नहीं हुए । अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराया एवं कथन किया कि योग्य अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा निर्णय दिनांक 27.1.2020 पारित करते हुए आलेखित किया है कि अपीलान्टस के पुत्रों में अपने पिता की सम्पत्ति के आपसी बंटवारे को लेकर उत्पन्न होने वाला विवाद प्रतीता होता है जिसके कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।उक्त वर्णित तथ्य योग्य अधिकरण द्वारा आर्बीट्रेरी रूप से आलेखित किया है तथा ज्यूडिशियम माइण्ड भी एप्लायी नहीं किया है । क्योंकि उक्त सम्पत्ति अपीलान्ट कम–2 की स्वअर्जित आय से कयशुदा सम्पत्ति है जिसके सम्बन्ध में पत्रावली पर अपीलान्ट के विधिक स्वामित्व के प्रमाण स्वरूप उक्त सम्पत्ति की रजिस्टर्ड लीज डीड उपलब्ध है एवं जिसमें किसी प्रकार के हिस्से बाबत उज्र अथवा ऐतराज योग्य अधिकरण के समक्ष किसी भी पक्षकार के द्वारा विधिक रूप से नहीं किया जा सकता है । अधीनस्थ अधिकरण द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं फरमाया गया कि अपीलान्ट्स वृद्व है तथा अपीलान्ट्स के साथ रेस्पोडेन्ट्स ने घोर कूरता एवं उपहति कारित की तथा दिनांक 13.3.2019 को मारपीट की , गला दबा दिया था, कमरे का दरवाजा क्षतिग्रस्त कर दिया एवं थाना जवाहर नगर कोटा द्वारा माता

पिता एवं पुत्र के सम्बन्ध होने से मात्र चेतावनी देकर छोड़ दिया । उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आये तथा निरन्तर क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते रहे, अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्ट्स का कई बार लाखों रूपयों की मदद की है एवं रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा वैशाली नगर जयपुर में जब दो फ्लेट प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर क्रय किये गये थे, उस समय भी अपीलान्ट्स द्वारा आर्थिक रूप से सहयोग रेस्पोडेन्ट्स को किया गया था । उक्त सम्पत्ति अपीलान्ट्स की स्वअर्जित आय से निर्मित है जिसके प्रथम तल के निमार्ण के लिये ओरियन्टल बैंक से ऋण भी लिया गया था जिसको अपीलान्ट्स ने ही समय से चुकता भी किया है । उसके बावजूद भी अधीनस्थ अधिकरण ने निर्णय दिनांक 27.1.2020 में अपीलान्ट्स के पुत्रों में अपने पिता की सम्पत्ति के आपसी बंटवारे को लेकर उत्पन्न होने वाला विवाद प्रतीत होना मानकर निर्णय पारित करने में घोर कानूनी त्रुटि की है । अतः योग्य अधीनस्थ अभिकरण का निर्णय दिनांक 27.1.2020 निरस्त फरमाया जावें एवं रेस्पोडेन्ट्स को अपीलान्ट्स के मकान नम्बर एफ 25 जवाहर नगर कोटा से बेदखल किया जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश दिनांक 27.01.2020 के विरूद्व दिनांक 04.02.2020 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस न्यायिक दृष्टान्त Citation 2018(4)DNJ (Raj) 1526 दीपक कुमार बनाम फूलवन्ती पेश कर हमारा ध्यान आकर्षित कराया । यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश की गई है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.1.2020 में उक्त अधिनियम की मंशा एवं अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के तहत निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । ऐसी स्थिति में इस अधिनियम में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा एवं भरण पोषण हेतु दिये गये प्रावधानों के तहत विधि के परिपेक्ष्य में सुनवाई हेतु हम प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाते है ।

6. परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत विहित प्रावधानों के तहत सुनवाई की जाकर नवीन निर्णय पारित करें ।

7. निर्णय आज दिनांक **19.01.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/1/21

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा